

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

2020/00032

अज अदालत उपरकाय अधिकारी मुकाम श्रीमहापारा

बालमुकुन्द बनाम रिफाओ फर्द

किस्म मुकदमा नम्बर 379/2012 वर्ष

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थि  
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/11/25  
को पेश हों।

10/11/25


पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थि  
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/12/25  
को पेश हों।

09/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष अथवा अन्य किसी पक्षकारान ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। अतः वादवादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल

शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील  
दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2025  
को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीसकाथाना (राज.)

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. बालमुकुन्द पुत्र श्री सुरजाराम वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. शिम्भो देवी पत्नी सांवलप्रसाद वगैरह

—प्रतिवादीगण


दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा  
मुकदमा नं. 379 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री मनीराम जाखड़ एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रुबरु श्री नरेश सामोता, श्री रामसिंह गुर्जर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें  
के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

  
दस्तखत.....  
ओहदा.....

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।